लेबर सेस के लिए हर जिले में नहीं होगा अलग खाता

- नया पोर्टल बनने के बाद एक ही खाते में जमा हो सकेगा उपकर
- निर्माणदायी संस्थाओं, ठेकेदारों को नहीं काटने होंगे दफ्तर के चक्कर

लखनऊ, विशेष संवाददाता। लेबर सेस जमा करना अब फर्मों और उसे वसूलने वाले श्रम विभाग, दोनों के लिए आसान हो गया है। इस उपकर के लिए अब विभाग को प्रदेश के हर जिले में अब खाते का संचालन नहीं करना होगा। बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की पहल पर बने नए पोर्टल से सेस जमा करना और कराना दोनों आसान हो गए हैं। विभागवार जमा होने वाले उपकर का पूरा डाटा भी श्रम विभाग के पास होगा।

वहीं सेस जमा करने वालों को अब श्रम विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। दरअसल, बीओसीडब्ल्यू बोर्ड द्वारा सरकारी और गैर सरकारी निर्माणदायी संस्थानों, फर्मों, ठेकेदारों से प्रोजेक्ट की लागत का एक फीसदी लेबर सेस वसूला जाता है।